संख्या-ए-32015/1/2021-केहिप्रसं/ 688

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

7वां तल, प.दी.अंत्योदय भवन,
7th Floor, Pt.D.Antyodaya Bhawan,
सी जी ओ परिसर, लोदी रोड़,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
नई दिल्ली/ New Delhi-110003

दिनांक :- 21.03.2022
28 MAR 202

कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 एवं दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/3/2015-स्था(घ) एवं संख्या-35034/3/2015-स्था(घ), में दिए गए दिशा निर्देशों/ विहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, के अनुपालन में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय संवीक्षा समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को जिन्होंने अपने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, को इस पद के वेतनमान पीबी-2 रु. 9300-34800 के साथ दिए जाने वाले ग्रेड पे रु. 4800/- से नियमानुसार **वेतनमान लेवल-9 रु. 53,100-1,67,800 के साथ अगला ग्रेड पे रु. 5400/-** में निम्नानुसार उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

क्र.सं.	नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	वर्तमान कैडर में सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति की तारीख	तारीख जब से प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाना है ।
1	2	3	4
1.	उर्मिला सैनी	10.01.2012	10.01.2022
2.	फतेह बहादुर सिंह	09.01.2012	09.01.2022

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और इससे उनकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ट अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उनसे कनिष्ठ अधिकारी उस ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के कारण वेतन बैंड या उच्चतर ग्रेड वेतन ले रहा है ।

3. उपर्युक्त हिंदी प्राध्यापकों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(1) (ए) (1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा । मूलभूत नियमावली के नियम 22(1) (ए) (1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए उक्त अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं । निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी प्रकार का कोई विकल्प मान्य नहीं होगा ।

4. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाला वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा, यदि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत समान ग्रेड वेतन प्रदान किया गया हो । तथापि वास्तविक पदोन्नति यदि किसी ऐसे पद पर हुई है, जिसका ग्रेड वेतन संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्चतर है तो उस समय कोई वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन के अंतर का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा(आडिट) द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई भी हुई, तो वह लेखा-परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी ।

6. समस्त उपनिदेशकों को निदेश दिए जाते हैं कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा निर्देशों/ विहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत मंजूरी प्रदान करने संबंधी आवश्यक आदेश जारी करें।

भवदीय,

(राम निवास)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 14 मार्च, 2022 के पत्र सं.14034/22/2021-राजभाषा(प्रशिक्षण) के संदर्भ में ।
3. उपनिदेशक(मुख्यालय), कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक(पूर्व//मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता / नई दिल्ली ।
5. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक(टंकण/आशुलिपि), कैं.हि.प्र.संस्थान, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सभी संबंधित हिंदी प्राध्यापक
7. एक-एक प्रति संबंधित हिंदी प्राध्यापकों की व्यक्तिगत फाइल/ सेवापंजी हेतु ।
8. गार्ड फाईल, कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।